का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान नही दिया कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के खाते की आराजी पर गैर वर्ग के व्यक्ति का कब्जा स्वीकार योग्य नही है,रेस्पो0 द्वारा तथाकथित फर्जी दस्तावेज तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया वह एक अस्पष्ट दस्तावेज है बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 42(2) आरटीएक्ट के प्रावधानों का उल्लघंन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत समस्त दस्जावेज का ग़ैार पूर्वक अवलोकन नही किया इस कारण निर्णय अपील पत्र संग्रह सार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। आपीलान्ट द्वारा 183 बी के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रावधान के आधार पर ही अपना प्रा0पत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था भूमि को सिवायचक दर्ज करवाने के लिये धारा 175,177 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर निर्णय गलत पारित किया गया है । अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया गया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पो0 के भाई द्वारा जर्ये एग्रीमेन्ट दिनांक 16.11.1998 को अपीलान्ट से क्रय की गई थी जिसकी सर्मपूंण राशि अदा की जा चुकी है,रेस्पो0 मात्र उक्त आराजी पर काश्त करता है,अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। इस पर पेरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित बताया व अपील खारिज करने का अनुरोध किया गया।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष उपस्थित रहा है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष व तथा–कथित खरीददार सरदारसिंह के पर्चा बयान लिये गये हैं। पत्रावली में संलग्न पटवारी द्वारा तहसीलदार को दिनांक 12.03.2016 को की गई रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि उक्त भूमि ख0न0 141 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा पर ग्राम झिकडिया नि0 दुलेसिंह आ0 परथीसिंह राजतपूत काश्त कर रहे हैं। यंहा यह तो स्पष्ट है कि सम्पति का हस्तान्तरण रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकरण होना आवश्यक है व एससी/एसटी जाति के व्यक्ति की आराजी का स्वर्ण जाति को विक्रय भी निषेद है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा स्वंय लिखित बहस में अकंन किया गया है कि वह अपने परिवार का लालन–पालन करने के लिये ग्राम टोरनिया तहसील भानपुरा में मेहनत मजदूरी करता है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नोटेरी से तस्दीकशुदा बेचान एग्रीमेन्ट,अप्रार्थीगण के बयान के आधार वादग्रस्त आराजी का बेचान सिद्ध होना पाया गया है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर अपील के माध्यम से अपीलान्ट को किसी भी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे तथा यह पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़

निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 41/अपील/16 तारीख दायरा 24.05.2016

उनवान अपील

हीरा पुत्र धूला जाति बलाई नि0 ग्राम सिलेहगढ हाल मुकाम टोरनिया तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर म0प्र0 (अपीलान्ट)

बनाम

01. दुल्हेसिंह पिता परथीसिंह जाति राजपूत नि0 झीकड़िया(सिलेहगढ)तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़
02. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड (रेस्पो0)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 25.04.2016 न्यायालय तहसील पचपहाड़ उनवान हीरा बनाम दुल्हेसिंह अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 13/2015 पारित निर्णय के विरूद्ध ।

उपस्थितः– श्री धमेन्द्र सिंह झाला, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पो0 1
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांकः 16.01.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 25.04.2016 जो मिसल न0 13/2015 पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी के तहत पारित किया जाकर ग्राम सिलेहगढ तहसील पचपहाड़ स्थित आराजी खाता संख्या नया 486 पुराना 446 खसरा न0 141 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा भूमि का सिवायचक दर्ज करवाने के लिये धारा 175,177 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर निर्णय पारित किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत समस्त दस्जावेज का गैार पूर्वक अवलोकन नही किया इस कारण निर्णय अपील पत्र संग्रह सार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। धारा 183 बी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के खाते की आराजी पर गैर वर्ग के व्यक्ति का कब्जा स्वीकार योग्य नही है,रेस्पो0 द्वारा तथाकथित फर्जी दस्तावेज तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया वह एक अस्पष्ट दस्तावेज है बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 42(2) आरटीएक्ट के प्रावधानों का उल्लधंन किया है। आपीलान्ट द्वारा 183 बी के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रावधान के आधार पर ही अपना प्रा0पत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसे खारिज कर भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में जांच पूर्ण रूप से नही की है व सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की और से अभिभाषक श्री राम माहेश्वरी उपस्थित हुए ।

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की व दिनांक 30.05.2017 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई लिखित बहस की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व रेस्पो0 से जिरह करने

जिला कलक्टर
झालावाड़